II/अपील/सतना/2018/02135 60

न्यायालय मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल श्रखला

न्यायालय रीवा म0प्र0

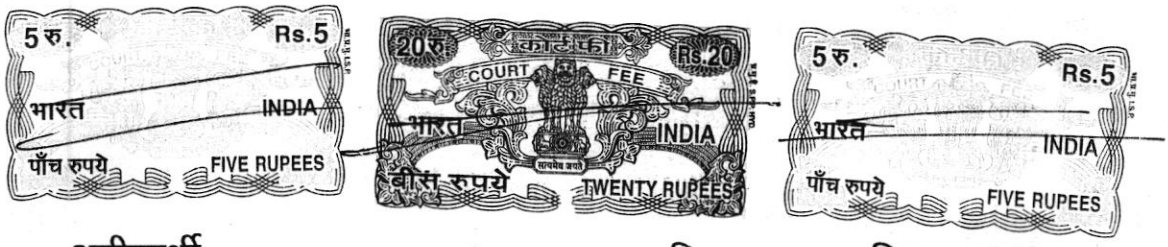

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

अपीलार्थी
अनावेदक :- राममिलन पुत्र दशिया कुम्हार उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि एवं मजदूरी निवासी ग्राम नादन टोला पड़क्का तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

अधि0 श्री ... कुमार गौतम द्वारा पेश 28-3-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

उत्तरार्थी
आवेदक : 1- उपेन्द्रनाथ पिता श्री रामायण प्रसाद शर्मा उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम पुरानी बस्ती अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

उत्तरार्थी
आपत्तिकर्ता :- 2- अनिल कुमार शर्मा पिता स्व0 श्री विश्वनाथ शर्मा उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम अमरपाटन पुरानी बस्ती रामनगर रोड़ तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

3- शशी देवी पत्नी स्व0 श्री बृजनाथ शर्मा उम्र 60 वर्ष

4- ब्रजेन्द्र कुमार पिता स्व0 श्री बृजनाथ शर्मा उम्र 40 वर्ष,

5- सुनील कुमार शर्मा पिता स्व0 श्री बृजनाथशर्मा उम्र 38 वर्ष,

6- रमेश कुमार पिता स्व0
श्री बृजनाथ शर्मा उम्र 35
वर्ष सभी निवासी ग्राम
अमरपाटन पुरानी बस्ती
तहसील अमरपाटन जिला
सतना म0प्र0

अपील अन्तर्गत धारा 44(2)(3) म0प्र0भू0रा0सं0 1959

आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा, सम्भाग रीवा (म0प्र0) द्वारा रा0प्र0क0 298/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 3/2/18 के विरूद्ध।

मान्यवर,

अपीलार्थी, आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय करता है :-

<u>-:संक्षेप में प्रकरण के तथ्य :-</u>

01. यह कि रेस्पार्डेट क्र0 1 अनावेदक उपेन्द्रनाथ शर्मा ने दिनांक 23.07.2004 को एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 115/116 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के अन्तर्गत ग्राम नादन टोला की आ0नं0 1040 रकवा 1.11 एकड़ एवं आ0नं0 1046 रकवा 0.24एकड़ कुल किता 02 कुल रकवा 1. 35एकड़ में अपना कब्जा दर्ज करने का आवेदन पत्र श्रीमान् तहसीलदार, तहसील अमरपाटन के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/अपील/सतना/भूरा/18/2135 **राममिलन / उपेन्द्रनाथ**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-18	आवेदक की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार गौतम अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें कायमी पर सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03-02-18 का अवलोकन किया। अपर आयुक्त द्वारा पाया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 08-01-18 को नकल आवेदन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया और उन्हे 08-01-18 को नकल प्राप्त हो गयी। जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 15-01-18 को नकल प्राप्त होना बताया है । अतः अपर आयुक्त ने पाया कि गलत जानकारी देकर न्यायालय को गुमराह किया गया। अतः उन्होंने अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर समयबाधित होने से निरस्त की है । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आलोच्य आदेश मे किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रतीत नहीं होती है फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। 20/6/18 सदस्य	